कार्यालय अधिष्ठाता छात्र मामले
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

कार्यालय आदेश

अवगत कराना है कि छात्र/छात्राओं द्वारा छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया था। छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली–2020 में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विचार–विमर्श के उपरान्त संस्तुति की गयी थी। जिसके कम में निम्नानुसार फीस की धनराशि माफ करने/सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी हैं। छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत है :–

Sl. No	Student/Father Name	Roll No.	Course/Branch	Assistance (Rupees)	विवरण
01.	श्री शोएब अख्तर,	2024021160	B.Tech. 2nd Year, CSED	74,000.00	छात्र के पिता का देहान्त बीमारी के कारण होने से उक्त छात्र द्वारा छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा जाँचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त छात्र पिछले सत्र 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति रूपया 50,000/–एवं छात्रवृत्ति रूपया 5,500/– प्राप्त कर चुका है। समिति द्वारा उक्त के कम में, सत्र 2025–26 में विश्वविद्यालय की कुल फीस रूपया 1,29,500/– में से पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में प्राप्त धनराशि रूपया 55,500/– को घटाते हुये शेष धनराशि रूपया 74,000/– छात्र कल्याण निधि से दिये जाने की संस्तुति की जाती है। साथ ही यदि छात्र को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है (छात्र द्वारा फार्म भरने आदि में किसी भी प्रकार की गलती नही होने पर) तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा अवशेष धनराशि (छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) को भी छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा। यदि छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में प्राप्त धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होती है तो इस दशा में धनराशि को अगले सत्र 2026–27 में समायोजित कर दिया जायेगा।
02. 03.	श्री अर्नव कुमार सिंह, श्री आदि मित्तल	2024021026 2024021101	B.Tech. 2nd Year, CSED B. Tech, 2nd Year, CSED	66,000.00 66,000.00	छात्रो के पिता का देहान्त बीमारी के कारण होने से उक्त छात्रों द्वारा छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा जाँचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त छात्र पिछले सत्र 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति रूपया 50,000/–एवं छात्रवृत्ति अधिकतम रूपया 13,500/– प्राप्त कर चुके है। समिति द्वारा उक्त के कम में, सत्र 2025–26 में विश्वविद्यालय की कुल फीस रूपया 1,29,500/– में से पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में प्राप्त धनराशि रूपया 63,500/– को घटाते हुये शेष धनराशि रूपया 66,000/– छात्र कल्याण निधि से दिये जाने की संस्तुति की जाती है। साथ ही यदि छात्र को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है (छात्र द्वारा फार्म भरने आदि में किसी भी प्रकार की गलती नही होने पर) तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा अवशेष धनराशि (छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) को भी छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा। यदि छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में प्राप्त धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होती है तो इस दशा में धनराशि को अगले सत्र 2026–27 में समायोजित कर दिया जायेगा।

29/10/2025

04.	श्री आरुष श्रीवास्तव	2023011101	B.Tech. 3rd Year, CED	NIL	छात्र के पिता की मृत्यु हो जाने पर छात्र को अध्ययन जारी रखने हेतु पाठ्यक्रम के सत्र 2024–25 के लिए छात्र को छात्र कल्याण निधि से सशर्त *(छात्र को इस प्रतिबन्ध के साथ छात्र कल्याण निधि का लाभ प्रदान किया गया है कि छात्र भविष्य में उनके द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य संस्था द्वारा दिये जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेगे। यदि इसके उपरान्त भी छात्र को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है (छात्र द्वारा फार्म भरने आदि में किसी भी प्रकार की गलती नही होने पर) तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य के अगले सत्रों में पुनः उनकी विश्वविद्यालय फीस को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा)* आर्थिक सहायता दी गयी थी। परन्तु छात्र द्वारा उपरोक्त नियम का अनुपालन न करते हुये छात्रवृत्ति का फार्म नही भरा गया तथा छात्र द्वारा पुनः सत्र 2025–26 में छात्र कल्याण निधि से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा उक्त छात्र को नियम का उल्लंघन करने एवं आय प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने की वजह पूछने पर छात्र द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि छात्र की माता नौकरी करती है। अतः उक्त प्रकरण में इस छात्र को छात्र कल्याण निधि से विश्वविद्यालय के सत्र 2025–26 के शुल्क का भुगतान करना उचित नही है।
			Total Amount Rs.	2,06,000/-	

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(प्रो0 जय प्रकाश)
अधिष्ठाता, छात्र मामले

पत्रांक / मा0प्रौ0वि0 / अधि0छा0मा0 / INC_142 / 350 / 2025

दिनांकः 30 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. वै0सहा कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
02. कुलसचिव
03. अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / परीक्षा नियंत्रक।
05. वित्त नियंत्रक को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. मुख्य छात्रावास अधीक्षक।
07. सम्बन्धित छात्रगण / अभिभावक।
08. वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्रो0 जय प्रकाश) 30/10/25
अधिष्ठाता, छात्र मामले